19.5.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान– न्याय आपके द्वार 2017 में अटल सेवा केन्द्र होडू में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थी स.12 की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित। विप्रार्थीगण को राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं.1 से 11 बावजुद नोटिस तामील के हाजिर नही पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्राथीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया। जो बाद शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालत अभियान–
न्याय आपके द्वार 2017

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र होडू)
पीठासीन अधिकारी–श्री नाथुसिंह राठौड़,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स.126 / 2017

प्रार्थीगण

अणछी पत्नि गंगाराम
जाति जाट निवासी केरलीवास
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 हड़ुमानराम पुत्र धर्माराम
2 मोटाराम पुत्र धर्माराम
3 भीखों पत्नि धर्माराम
4 जेठा पुत्र गिरधारी
5 पदमा पुत्र गिरधारी
6 चुतरा पुत्र गिरधारी
7 गेमरो पुत्र गिरधारी
8 पूनमा पुत्र गिरधारी
9 ऊमा गोद उदा
10 पना पुत्र अचला
11 भींयाराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी केरलीवास तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर।
12 तहसीलदार, सिणधरी।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1 श्री डालूराम चौधरी,अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2 पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार सिणधरी) विप्रार्थी सं.12 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी स.1 से 11 एकरतफा।

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

आदेश

दिनांक– 19.5.2017

1.संक्षेप मे आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 110 रकबा 22–18 बीधा व खसरा नम्बर 123/5 रकबा 8–05 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी द्वारा ग्राम केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 110 रकबा 22–18 बीधा व खसरा नम्बर 123/5 रकबा 8–05 बीधा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी सं. 1से 11 बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नही होने पर उनके विरूद एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। विप्रार्थी सं.12 की ओर से जवाब पेश नही किया गया।

3.वकील प्रार्थीनी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि ग्राम केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 110 रकबा 22–18 बीधा व खसरा नम्बर 123/5 रकबा 8–05 बीधा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीनी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थीनी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीनी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीनी के खातेदारी भूमि ग्राम केरलीवास पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 110 रकबा 22–18 बीधा व खसरा नम्बर 123/5 रकबा 8–05 बीधा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की करवाई सीमाज्ञान रिपोर्ट का

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

Scanned by CamScanner

गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम केरलीवास पटवार क्षेत्र होड़ू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 110 रकबा 22–18 बीधा व खसरा नम्बर 123/5 रकबा 8–05 बीधा भूमि की प्रार्थीनी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2069 से 2072 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहती है,विप्रार्थी स.1 से 11 बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नही हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थी स.1 से 11 को प्रार्थीनी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने मे कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. **लिहाजा**,प्रार्थीनी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम केरलीवास पटवार क्षेत्र होड़ू तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 110 रकबा 22–18 बीधा व खसरा नम्बर 123/5 रकबा 8–05 बीधा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थीनी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1500/प्रार्थीनी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

13/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 13/5/12 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

13/5/12

(नाथूसिंह राठौड)

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Scanned by CamScanner